कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

संख्या 1828 /न0पा0परि0मं0/ई–निविदा सूचना/2023 दिनांक 01/ नवम्बर, 2023

ई–निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा स्वीकृत सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था योजना अन्तर्गत नाला निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्यो हेतु निम्न कार्यक्रम के अनुसार ई–निविदा ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है :–

क्र.सं.	निविदा का विवरण	दिनांक	समय	क्र.सं.	निविदा का विवरण	दिनांक	समय
1	ई–निविदा वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित की तिथि/समय	03.11.2023	पूर्वान्ह 12:00 बजे से	4	ई–निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र जमा करने की तिथि/समय	25.11.2023	अपरान्ह 04:00 बजे तक
2	ई–निविदा अपलोड किये जाने की प्रारम्भ तिथि/समय	03.11.2023	पूर्वान्ह 12:00 बजे से	5	ई–निविदा तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि/समय	25.11.2023	अपरान्ह 04:00 बजे तक
3	ई–निविदा अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि/समय	25.11.2023	पूर्वान्ह 12:00 बजे तक	6	ई–निविदा वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि/समय	28.11.2023	पूर्वान्ह 12:00 बजे से

ई–निविदा में सम्मिलित कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी.एस.टी. रहित) (रू0 में)	बिड सिक्योरिटी (ई.एम.डी. 10%) (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	वार्ड नं0 1 अम्बेडकर नगर मजरा भक्तन का पुरवा में मंझनपुर ओसा रोड से हनुमान के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	1396640.00	139664.00	1648.00	3 माह
2	वार्ड नं0 1 अम्बेडकर नगर मजरा भक्तन का पुरवा में ज्ञान सिंह के घर से प्रेम सिंह पटेल के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	1404399.00	140440.00	1657.00	3 माह
3	वार्ड नं0 13 अटल बिहारी वाजपेयी नगर मजरा रामपुर बसोहरा में राम प्रसाद के घर से भैरवन तालाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	1879069.00	187907.00	2217.00	3 माह
4	वार्ड नं0 14 वत्स नगर मजरा कोरों में संतलाल के घर से धर्मराज के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	1027276.00	102728.00	1212.00	3 माह
5	वार्ड नं0 17 गौतम बुद्ध नगर मजरा खोरा में राम बालक के घर से तालाब तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	1238739.00	123874.00	1462.00	3 माह
6	वार्ड नं0 20 चन्द्रशेखर आजाद नगर मजरा गौसपुर टिकरी में लाल बहादुर के घर पीछे से बनवारी लाल के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	1022263.00	102226.00	1206.00	3 माह
7	वार्ड नं0 21 सावित्री बाई फुले नगर मजरा चक बाजापुर में असफाक के घर से तालाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	1024353.00	102435.00	1209.00	3 माह
8	वार्ड नं0 24 संत कबीर नगर मजरा ओसा में लल्लू लोधी के घर से बैरागी तालाब तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	1031913.00	103191.00	1218.00	3 माह

नियम/शर्तेः–

1. उपरोक्त ई–निविदा की विस्तृत जानकारी ई–टेण्डर बेव साइड http://etender.up.nic.in तथा नगर पालिका परिषद मंझनपुर की बेव साइड www.nppmanjhanpur.in से डाउनलोड कर अथवा नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर उपरोक्त ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
2. उपरोक्त ई–निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो में निदेशक महोदया, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के द्वारा निर्गत निर्देश पत्र संख्या टी.सी. /314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 में निर्माण कार्यो हेतु उल्लिखित दिशा निर्देशो तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकाय कार्यो हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विषयक निर्गत शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास विभाग, अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित समस्त निर्देशो के साथ ही भिन्न–भिन्न समय में उच्चाधिकारियो के द्वारा निर्गत किये गये तथा भविष्य में निर्गत होने वाले समस्त दिशा निर्देशो का अनुपलन करना होगा।
3. उपरोक्त ई–निविदा में स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म से आमंत्रित की गयी है। ई–निविदा के साथ किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ ही ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपना अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र (T-4), हैसियत प्रमाण पत्र (T-5), निर्धारित मूल्य (रू0 100) के एकल न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर कार्य के नाग के स्पष्ट उल्लेख के साथ घोषणा पत्र (T-6), GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र, निर्धारित मूल्य (रू0 10) के एकल गैर–न्यायिक स्टॉम्प पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजिकृत है एवं विभागीय समस्या न होने की स्थिति में स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध में दिये गये कार्य अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करना होगा, अन्यथा की दशा में निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् रूपया पांच सौ प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा अथवा सम्बन्धित कार्य के बिल से विलम्ब शुल्क समायोजित करते हुए कटौती की जायेगी, विषयक शपथ पत्र की मूल प्रति ई–निविदा पोर्टल में स्पष्ट रूप से पठनीय हो, स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा तकनीकी बिड खोलने हेतु उल्लिखित समयावधि के पूर्व उपरोक्त प्रमाण पत्रो की स्वप्रमाणित प्रति (सील बन्द लिफाफे) में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा (जिससे निविदा में संलग्न प्रमाण पत्रो का परीक्षण किया जा सके) अन्यथा सम्बन्धित की ई–निविदा तकनीकी रूप से निरस्त समझी जायेगी।
4. ई–निविदा में सम्मिलित कार्यो के समान प्रकृति से जुड़े कार्य विषयक किसी एक या एक से अधिक शासकीय विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित कार्य के लिए वही अनुभाव प्रमाण पत्र मान्य होगा जो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा निविदा हेतु प्रस्तावित उपरोक्त कार्य की धनराशि या उससे अधिक धनराशि के संतोषजनक ढ्ग से कार्य को पूर्ण करने से सम्बन्धित विगत तीन वित्तीय वर्ष के अन्दर के हो तथा यह भी कार्य के प्रकृति के अनुरूप कार्य कराये जाने का अनुभव सम्बन्धित कार्य की निविदा में मान्य होगा।
5. ई–निविदा वेब साइट पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा स्कैन कर अपलोड किये जाने वाले साभी प्रपत्र प्रत्येक दशा में दृश्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय होने चाहिये, अपलोड किये जाने वाले डाक्यूमेंट दृश्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय नही होगे, सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की विड/निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. ई–निविदा में सम्मिलित प्रत्येक कार्य का निविदा शुल्क/जमानत धनराशि पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा शुल्क की धनराशि फर्म/ठेकेदार के खाते या फर्म के प्रोपराइटर के खाते से जमा करने विषयक ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगी।
7. ई–निविदा शुल्क की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंझनपुर IFSC कोड PUNB0486900 खाता संख्या 4869000100057833 जो NPP Manjhanpur Tender Fees/Security के नाम से खुले बैंक खाते में जमा करना होगा तथा जमा धनराशि का प्रमाण ई–निविदा की तकनीकी विड खोलने के पूर्व ठेकेदारी विषयक स्वप्रमाणित प्रपत्रो व जमानत धनराशि की मूल प्रति के साथ सील बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, तभी ई–निविदा मान्य होगी।
8. नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के द्वारा पूर्व में आमंत्रित ई–निविदा में सम्मिलित ऐसे ठेकेदार/फर्म जिनके पक्ष में L1 दर होने के कारण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था, परन्तु अभी तक स्वीकृत पत्र जारी होने के बाद भी अनुबन्ध नही कराया गया है तो सम्बन्धित की निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा यह भी कि यदि अनुबन्ध कराया गया है तो कोई विभागीय समस्या होने के कारण उपरोक्त स्वीकृत कार्य सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने का इच्छुक होने पर भी वर्तमान में कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नही है, ऐसे कार्यो को छोड कर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के पक्ष में स्वीकृत तीन या तीन से अधिक कार्य निविदा के प्रकाशन तिथि तक अपूर्ण/अधूरे है, कि निविदा पर विभाग द्वारा कोई विचार नही किया जायेगा।

अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद मंझनपुर-कौशाम्बी	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंझनपुर-कौशाम्बी	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंझनपुर-कौशाम्बी

9. ई–निविदा खोलने से पूर्व निविदा प्रपत्र के साथ 10% जमानत धनराशि का FDR जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बन्धक हो, को मूल रूप में सम्बन्धित तकनीकी बिड खुलने के पूर्व ठीकेदार/फर्म के द्वारा निविदा के साथ स्कैन किये गये ठेकेदारी विषयक वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अंयथा सम्बन्धित कार्य की तकनीकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यह भी किसी भी कार्य की निविदा के साथ संलग्न जमानत धनराशि की FDR की प्रति मात्र एक कार्य की निविदा में ही मान्य होगी अर्थात जमानत धनराशि के FDR में उल्लिखित धनराशि अधिक होने पर भी उपरोक्त जमानत धनराशि का FDR किसी अन्य कार्य की निविदा में मान्य नही होगी।

10. शासनादेश संख्या–11593/नौ–5–2021–142सा/2021 नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुसार अनुबंध गठन के समय 10 प्रतिशत बिलो (Below) दर तक 03.00 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 0.50 प्रतिशत कम पर सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारण्टी का अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बंधक युक्त FDR निविदा स्वीकृत पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुबन्ध का गठन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा यह मानते हुए की आपके द्वारा निविदा बाधित करने के उद्देश्य से निविदा डाली गयी है मानते हुए आपके पक्ष में निर्गत स्वीकृत पत्र निरस्त करते हुए आपके निविदा के साथ जमा की गयी 10% जमानत धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त करते हुए उपरोक्त निविदा में L2 दरदाता की निविदा के पक्ष में स्वीकृत करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

11. ई–निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि तथा सशर्त ई–निविदा मान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण पाये जाने पर आशिंक रूप से या सम्पूर्ण ई–निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।

12. ई–निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो हेतु जमा की गयी जमानत धनराशि को शासन द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का निर्धारण पत्र संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 दिनांक 07 जनवरी, 2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष तक कार्य संतोषजनक विषयक आख्या के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।

13. ई–निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाप पेपर एवं निर्धारित प्रारूप पर स्वयं के व्यय पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा अनुबन्ध कराना होगा।

14. प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध से पूर्व ठेकेदार को श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीयन एंव निर्माण श्रमिक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।

15. स्वीकृत कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एंव कार्य पूर्ण होने के बाद की कलर फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16. कार्य समाप्त करने की दी गयी समयावधि का आधा समय बीत जाने या अधिकतम अनुबन्ध गठित होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार के द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किया जाता है, तो उसके पक्ष में स्वीकृत निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

17. निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/सत्यापन हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा जमा जमानत/परफार्मेंस धनराशि जब्त करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

18. सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–171/2023/नौ –5–2023/001–Com.No.–1755371 नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के द्वारा नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी में नाला निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि रूपया 193.60 लाख के सापेक्ष शासन के द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति रूपया 193.60 लाख रूपये के सापेक्ष धनराशि रूपया 48.00 लाख मात्र अवमुक्त है किया गया है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्राप्त के पश्चात अवशेष धनराशि रूपया 145.60 लाख शासन द्वारा अवमुक्त होने पर ही भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगा। उपरोक्त कार्ययोजना में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से अतिरिक्त धनराशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जायेगा।

19. निविदाओं में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा।

20. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज–9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र मे प्रकाशित नही किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वय नियमित रूप से ई–निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेव साइड http://etender.up.nic.in पर लॉग इन करें तथा बिड डाक्यूमन्ट को डाउनलोड करें।

21. उपरोक्त ई–निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।

(ओमकार पटेल)
अवर अभियन्ता (सिविल)
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

(अनूप राय)
अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

(वीरेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी